कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी

पत्रांकः: 4893/पं०/स्व०भा०मि०–ग्रा० /2023–24 दिनांक 28/02/2024

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन पंचायतीराज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1040/33– 3–2021–116/2020 दिनांक 22.06.2021 के बिन्दु संख्या–16 में यह उल्लिखित किया गया है कि ब्लॉक स्तर पर सामग्री रिकवरी सुविधा/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई संग्रहण तथा एकत्रीकरण केंद्रों से प्लास्टिक अपशिष्ट को ब्लॉक स्तर पर ले जाना, जहां प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (PWMC) स्थापित किए जाएंगे। इस केन्द्र के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी मार्ग निर्देशिका में 16 लाख रूपये प्रति ब्लॉक के हिसाब से धनराशि प्राविधानित की गयी है, जिसका उपयोग किया जाएगा। ऐसे केंद्रों में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को घटाने के लिए एक कटाई और बेलिंग मशीन होगी। पुनः चक्रित कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता हैं (Ref- using plastic in construction of roads in the Indian Road Congress Code SP: 98–2013) अथवा सीमेंट उद्योगों में सह–प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जा सकता हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट स्थापित किये जाने के निर्देश के क्रम में जनपद की 02 ग्राम पंचायतो क्रमशः ग्राम पंचायत–टेंवा, विकास खण्ड–मंझनपुर एवं ग्राम पंचायत–पुरखास विकास खण्ड–नेवादा में: 01–01 पी0डब्लू0एम0सी0 निर्मित कराया जा चुका है, जिसके संचालन एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–4002/33–3–2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निम्नवत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:–

1. प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण/एकत्रिकरण के लिये सेग्रीगेशन बिन्स, प्लास्टिक बैंक्स आदि स्थापित कराया जाए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित कराये जा रहे आर0आर0सी0 सेन्टर में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण किया जाए।
2. प्रत्येक माह में कम से कम 01 बार विशेष अभियान चलाकर सभी स्थानों से जहां प्लास्टिक अपशिष्ट दृश्यमान हो, को एकत्र कर संग्रहण केन्द्र पर पहुंचाया जाए।
3. सामानन्तर ही विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाए, जिसके लिये विकास खण्ड अथवा विकास खण्ड अंतर्गत आने वाले किसी गांव को भी चिन्हित किया जा सकता है। यूनिट की स्थापना के लिये आवश्यकतानुसार उचित स्थल का चयन करते हुए 01 शेड का निर्माण कराया जाए, जिसमें एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को स्टोर किया जा सके तथा अपशिष्ट के रिसाइकिल/री–यूज हेतु मशीनरी जैसे– श्रेडिंग, बेलिंग, डस्ट रिमूवर वेयिंग मशीन, वाहन के आने–जाने आदि के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो ।
4. प्रत्येक विकास खण्ड पर कबाड़ीवाला, निजी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट सेन्टर, औद्योगिक इकाईयां जो प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करती हों, की सूची तैयार की जाए, जिससे कि फारवर्ड लिंकेज की सुगम व्यवस्था बन सके ।
5. फारवर्ड लिंकेज हेतु निकटतम उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार ही यूनिट पर मशीनरी का चयन किया जाए।
6. **विकास खण्ड स्तर पर निर्मित/स्थापित किये जाने वाले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में सभी गांव का क्लस्टर बनाते हुए गांवों से संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट को यूनिट तक पहुंचाने के लिये मासिक किराये पर कलेक्शन वाहन की व्यवस्था की जाएगी ।**
7. **कलेक्शन वाहन का रूप प्लान इस प्रकार से बनाया जाएगा कि प्रत्येक दिन 03 से 04 ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित कर यूनिट तक पहुंचाया जा सके। इस व्यवस्था से प्रत्येक ग्राम पंचायत का क्रम लगभग 20 दिवस से 01 माह के बाद द्वितीय बार कलेक्शन के लिये आयेगा। इस दौरान ग्राम पंचायत के आर0आर0सी0 सेन्टर में आवश्यक मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट**

एकत्रित कर लिया जायेगा। यह व्यवस्था विकास खण्ड स्तर पर निर्मित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के निरन्तर प्रभावी संचालन व उपयोगिता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी ।

उक्त निर्देशों में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद की 02 ग्राम पंचायतो में निर्मित कराये गये प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र के संचालन हेतु यह आवश्यक है कि उसे निरन्तर प्लास्टिक कचरा उपलब्ध होता रहे जिस हेतु निम्न विवरण के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन PWMC को संबंधित विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धारित रोस्टर के अनुसार लिंक किया जाता है:–

क्र0सं0	पी0डब्ल्यू0एम0 केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	केन्द्र पर प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित दिवस
1	2	3	4
1	पी0डब्ल्यू0एम0 केन्द्र–टेंवा	मंझनपुर की समस्त ग्राम पंचायते।	सोमवार एवं बुधवार
2		सरसवां की समस्त ग्राम पंचायते।	मंगलवार
3		सिराथू की समस्त ग्राम पंचायते।	शुक्रवार
4		कड़ा की समस्त ग्राम पंचायते।	वृहस्पतिवार एवं शनिवार
5	पी0डब्ल्यू0एम0 केन्द्र–पुरखास	नेवादा की समस्त ग्राम पंचायते।	सोमवार एवं बुधवार
6		चायल की समस्त ग्राम पंचायते।	मंगलवार
7		मूरतगंज की समस्त ग्राम पंचायते।	शुक्रवार
8		कौशाम्बी की समस्त ग्राम पंचायते।	वृहस्पतिवार एवं शनिवार

उपरोक्तानुसार निर्धारित किये गये रोस्टर के क्रम में प्रत्येक विकास खण्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के संग्रहण का रोस्टर तैयार कर विकास खण्ड अथवा न्याय पंचायत स्तर पर संग्रहित किये गये प्लास्टिक कचरे को नियत रोस्टर के अनुसार संबंधित क्षेत्र से सम्बद्ध PWMC पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उक्त आदेश का समस्त सम्बन्धितों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जाये।

28.2.24

(राजेश कुमार राय)
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी

O/C

पत्रांक 4893 /दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. उप निदेशक (पं0), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. जिला पंचायतराज अधिकारी, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्य का नियमित अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–कौशाम्बी को अनुपालनार्थ।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) जनपद–कौशाम्बी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–कौशाम्बी।

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी

O/C